न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ. (राज.)

पीठासीन अधिकारी — डॉ. अंजली राजोरिया I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
06 / 2023	2023 / 164	31.07.2023	30.05.2025

श्री अम्बालाल पिता कारू मीणा निवासी बनेडिया खुर्द तहसील प्रतापगढ़

:— अपीलान्ट

—: बनाम :—

श्री हरजी पिता गोमजी मीणा निवासी बडी बम्बोरी तहसील प्रतापगढ़

:— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश प्रकरण संख्या 01 / 2022 निर्णय दिनांक 04.07.2023 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा तहसीलदार प्रतापगढ़

उपस्थिति :—
1. श्री धर्मचन्द नागौरी अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री विमल कुमार मोदी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

आदेश — दिनांक :—30.05.2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध आदेश प्रकरण संख्या 01 / 2022 निर्णय दिनांक 04.07.2023 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा तहसीलदार प्रतापगढ़ के संबंध में प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बड़ी बम्बोरी में स्थित अपीलार्थी की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 158 रकबा 0.42 हैक्टर एवं आराजी संख्या 161 रकबा 0.58 हैक्टर कुल किता 1.00 हैक्टर भूमि श्रीमती रामी बाई पत्नि मांगीलाल मीणा पुत्री श्री कारूलाल मीणा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड थी। श्रीमती रामीबाई अपीलार्थी की बहिन होकर लाऔलाद फौत हो चुकी है। जिससे उक्त भूमियां वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड होकर उक्त भूमियों का स्वतत्व व अधिकार अपीलार्थी को प्राप्त हो चुका है किन्तु रेस्पोडेन्टगण द्वारा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा काश्त करने के चलते अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् तहसीलदार प्रतापगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये प्रकरण संख्या 01 / 2022 दर्ज करते हुए प्रकरण में वर्णित विवादित विक्रय अनुबंध दिनांक 09.06.2017 एवं उक्त विक्रय अनुबंध के आधार पर रेस्पोडेन्ट द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश प्रतापगढ़ के समक्ष प्रस्तुत वाद एवं स्थगन प्रार्थना प्रकरण संख्या 41 / 2020 एवं 10 / 2020 के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी / प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दिनांक 04.07.2023 को निर्णित किया गया जबकि श्रीमती रामीबाई द्वारा किया गया विक्रय अनुबंध अवैध था तथा माननीय सिविल न्यायालय में दर्ज प्रकरण जैरे कार्यवाही होकर उक्त प्रकरणों में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ था। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश से विवादित

लक्टर
(राज.)

आराजी संख्या 158 रकबा 0.42 हैक्टर एवं आराजी संख्या 161 रकबा 0.58 हैक्टर में से 0.21 हैक्टर भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा विधिवत् मानते हुए मात्र 0.37 हैक्टर भूमि का कब्जा अपीलार्थी को दिलाने का आदेश कर दिया गया जबकि सम्पूर्ण आराजी रकबा 1.00 हैक्टर भूमि का हक अधिकारी अपीलार्थी के पक्ष में निहित होने से कब्जा दिलाया जाना था।

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये तथा अधिनस्थ से निर्णित पत्रावली तबल कि गई। जिस पर रेस्पोडेन्टगण की बाद समन तामिल रिपोर्ट रेस्पोडेन्टगण कि ओर से अधिवक्ता श्री विमल कुमार मोदी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करते हुए अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार बहस अन्तिम हेतु निवेदन किया गया तथा अधिनस्थ से निर्णित प्राप्त पत्रावली को रिकार्ड पर रखा गया।

प्रकरण में बहस अन्तिग उभयपक्ष सूनी गई दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मेमों में वर्णित कथनों को दौहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा काबिज भूमि अपीलार्थी की बहिन की खातेदारी भूमि है जिसकी लाऔलाद मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि का स्वामित्व अपीलार्थी को स्वतः प्राप्त हो जाता है किन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा अपंजिकृत विक्रय अनुबंध के आधार पर समस्त भूमियों पर अवैधानिक तरिके से कब्जा काश्त स्थापित की हुई है जिसकी बेदखली हेतु अपीलार्थी द्वारा धारा 183 बी के तहत् आवेदन सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार प्रतापगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय एवं नियमों के विरूद्ध निर्णित किया गया है। जिससे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णिय को अपास्त करते हुए धारा 183 बी में विहित प्रावधानों के तहत् अपील में वर्णित विवादित सम्पूर्ण आराजी का कब्जा अपीलार्थी को दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

इसी प्रक्रम में दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मेमों में वर्णित कथनों का खण्ड़न करते हुए एवं अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब एवं मौका रिपोर्ट तथा मृतका खातेदार द्वारा रेस्पोडेन्ट के साथ किये गये विक्रय अनुबंध एवं सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद एवं स्थगन प्रार्थना पत्र का हवाला देते हुए अवगत कराया कि प्रकरण में वर्णित विवादित भूमि अपीलार्थी की खातेदारी में दर्ज नहीं है तथा उक्त भूमि श्रीमती रामीबाई पत्नि मांगीलाल मीणा पुत्री कारूलाल मीणा निवासी बनेडियाखुर्द के नाम दर्ज रहते हुए मृतका द्वारा अपने जीवन काल में किये गये विक्रय अनुबंध के आधार पर रेस्पोडेन्ट को सिपुर्द कब्जा काश्त के आधार पर रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। किन्तु विक्रेता खातेदार (श्रीमती रामीबाई) के विधिवत विक्रय पंजीयन पूर्व ही मृत्यु हो जाने के आधार पर रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश प्रतापगढ के समक्ष विक्रय अनुबंध आधार पर पंजीकरण हेतु एक नियमित वाद तथा वाद के अन्तिम निस्तारण तक रेस्पोडेन्ट के कब्जा काश्त की यथावत स्थिति कायम रखने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है जिस अन्तर्गत माननीय सिविल न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 31.08.2024 को निर्णित करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध नामजद् अस्थाई निषेधज्ञा पारीत की गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमाई जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 07.07.2023 एवं संलग्न रिकार्ड दस्तावेज नकल जमाबंदी राजस्व ग्राम बडीबम्बोरी की खाता संख्या 243 संवत 2074–77, अधिनस्थ न्यायालय से निर्णित पत्रावली प्रकरण संख्या 01/2022 एवं निर्णय दिनांक 04.07.2023 तथा न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, प्रतापगढ़ के समक्ष दर्ज प्रकरण संख्या 41/2020 एवं 10/2020 में पारीत आदेश दिनांक 31.08.2024 एवं पर्चा मौका विवादित भूमि दिनांक 10.10.2022 तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विविध शपथ पत्रों एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थी को ज्ञापित पंजीकृत सूचना पत्र दिनांक 22.06.2020 के साथ साथ प्रकरण में प्रचलित विधियों के साथ गहनता पूर्वक अवलोकन अध्ययन किया गया है।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि प्रस्तुत अपील में वर्णित विवादित भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी राजस्व ग्राम बडीबम्बोरी की खाता संख्या 243 संवत 2074–77 में दर्ज आराजी संख्या 158 रकबा 0.42 हैक्टर एवं आराजी संख्या 161 रकबा 0.58 हैक्टर कुल किता 2 सम्पूर्ण रकबा 1.00 हैक्टर भूमियां पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी दिनांक 31.07.2019 तक श्रीमती रामीबाई पत्नि श्री मांगीलाल मीणा के नाम दर्ज थी तथा वर्तमान नकल जमाबंदी दिनांक 31.10.2022 के अनुसार अपीलार्थी (श्री अम्बालाल पुत्र कारूलाल मीणा सा. बनेडियाखुर्द) के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेज विक्रय अनुबंध दिनांक 09.06.2017 के अनुसार तत्कालिन खातेदार श्रीमती रामी बाई पत्नि मांगीलाल मीणा के नाम उक्त भूमियों के दर्ज रहते हुए अन्तरण किया जाना तथा उक्त अन्तरण के आधार पर रेस्पोडेन्ट की कब्जा काश्त स्थापित होना भी प्रमाणित होता है तथा उक्त विक्रय अनुबंध के आधार पर रेस्पोडेन्ट द्वारा सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद बाबत् पंजीकरण दस्तावेज तथा कब्जा काश्त अस्थाई निषेधज्ञा प्रार्थना पत्र के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय अविवादित प्रतीत होता है साथ ही सिविल न्यायालय वरिष्ठ न्यायाधीश प्रतापगढ़ द्वारा प्रश्नगत भूमियों की यथास्थिति हेतु अस्थाई निषेधज्ञा दिनांक 31.08.2024 को विरूद्ध अपीलार्थी के जारी की हुई है उक्त आशय का नोट रिकार्ड जमाबंदी पर नोट संख्या 2 दिनांक 24.08.2021 से लगा हुआ है। साथ ही प्रस्तुत अपील में वर्णित विवादित भूमि के कब्जा काश्त एवं शिर्षक भूमि तथा स्वतत्व हक अधिकार के संबंध में सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद के अन्तिम निस्तारण तक उक्त भूमियों के कब्जे काश्त के अन्तरण के संबंध में कोई भी आदेश न्यायालय हाजा स्तर से जारी करना अथवा अधिनस्थ न्यायालय से निर्णित प्रकरण के संबंध में अन्तिम विनिश्चय किया जाना वर्तमान में तर्क संगत नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी इस प्रकार इस स्तर पर मेन्टेबल नहीं होने से खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ अंजलि राजौरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़